Asia Dalit Rights Forum

दलित और 2015 के बाद विकास का एजेंडा

करोड़ों लोगों के साथ अप्रत्यक्ष नस्लभेद को खत्म करके ही स्थायी विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा

पृष्ठभूमि:

पूरी दुनिया में यह बात स्पष्ट रूप से रेखांकित हो चुकी है कि आर्थिक तरक्की और विकास के विभिन्न चरणों का समाज में जारी असमानताओं पर कोई असर नहीं पड़ता। नतीजा यह है कि दुनियाभर में 26 करोड़ की संख्या में मौजूद दलित[1] जिनमें से ज्यादातर दक्षिण एशिया में रहते हैं, तरक्की की इस राह में पीछे छूट गए हैं। हम इस हकीकत को महसूस करके बहस में और प्रमुख निष्कर्ष दस्तावेजों में शामिल किए जाने का स्वागत करते हैं कि जातिगत अवरोध सभी के लिए विकास की प्रक्रिया में रोड़ा बनेंगे। हालांकि, यह अफसोस की बात है कि स्थायी विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजी) में जाति व काम के आधार पर हो रहे भेदभाव का उल्लेख नहीं है या फिर उसे विशेष तौर पर चिन्हित नहीं किया गया है।

दक्षिण एशियाई देशों में जातिगत आधार पर होने वाला भेदभाव गरीबी का एक प्रमुख कारण है। यही वजह है कि जहां दुनिया की आबादी का 25 फीसदी दक्षिण एशियाई देशों में है, वहीं दुनिया के गरीबों का 40 फीसदी इस इलाके में रहता है। केवल भारत में ही दलित कुल आबादी का 17 फीसदी हैं। जाहिर है कि दक्षिण एशिया में दलितों की स्थिति पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय रुख ही टिकाऊ विकास के उस रास्ते की कामयाबी तय करेगा जिसका मकसद असमानताओं को कम करना है।

दक्षिण एशिया मे दलितों का संक्षिप्त रेखाचित्र

- आज समूचे दक्षिण एशिया में दलितों की आबादी 21 करोड़ से ज्यादा है:
- भारत में 20.1 करोड़ दलित हैं (भारत की कुल आबादी का 16.6 फीसदी)
- नेपाल में इनकी आबादी 35 लाख है (2.65 करोड़ की कुल आबादी का 13. 2 फीसदी)
- बांग्लादेश में 35 से 65 लाख के बीच (कुल आबादी का 3–4 फीसदी)
- पाकिस्तान में 3.3 लाख (उसकी कुल 24.4 लाख की हिंदू अल्पसंख्यक आबादी का 13.6 फीसदी)
- श्रीलंका में 40 से 50लाख के बीच (कुल आबादी का 20–30 फीसदी)

दलित नजरिये से टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को समझना

जून 2012 में रियो20 सम्मेलन में तय किए गए और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नियुक्त किए गए खुले कार्यदल (ओडब्लूजी) ने सितंबर 2015 में समाप्त होने वाले सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी एमडीजी) की जगह लेने वाले एसडीजी की अवधारणा तय की थी। कुल 17 लक्ष्यों और 169 कार्यों में कई सारे मुद्दे शामिल किए गए, जैसे कि गरीबी व भुखमरी खत्म करना, स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर सुधारना, शहरों को ज्यादा टिकाऊ बनाना, शांति व सुरक्षा, सामाजिक समावेश और जलवायु परिवर्तन।

एक प्रमाणिक विकास एजेंडा की सबसे महत्वपूर्ण पूर्व–शर्त यही है कि सबसे गरीब और हाशिये पर धकेले गए सामाजिक समूहों को तत्परता से सामाजिक न्याय मिले, आय में समानता आए और समग्र रूप से उनकी बेहतरी सुनिश्चित की जाए। रियो20 का निष्कर्ष दस्तावेज (भविष्य जो हम चाहते हैं, 2012) इस जरूरत को पुष्ट करता है कि हमें अंतरराष्ट्रीय कानून और उसके सिद्धांतों के प्रति पूरा सम्मान दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के उद्देश्यों व सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। वह आजादी, शांति व सुरक्षा, सभी मानवाधिकारों के प्रति सम्मान जिनमें विकास का अधिकार और एक समुचित जीवनस्तर का अधिकार भी शामिल है, कानून के शासन की सर्वोच्चता, सुशासन, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण और विकास के लिए न्यायोचित व लोकतांत्रिक समाजों के लिए प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करता है। वह मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून से संबद्ध मानवाधिकारों के सर्वव्यापी घोषणापत्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों की अहमियत को भी पुष्ट करता है।

सबसे दुर्बल समुदाय के अधिकारों की हिफाजत करने के प्रति मजबूत इरादा और राजनीतिक इच्छाशक्ति को देखते हुए और साथ ही उन सिद्धांतों के मद्देनजर जिनपर नया ढांचा टिका है, एशिया दलित राइट्स फोरम (एडीआरएफ) इसे इस बात के लिए उपयुक्त अवसर मानता है कि 2015 के उपरांत एसडीजी की प्रक्रिया में शिरकत की जाए और सामाजिक रूप से अलग–थलग समुदायों की आवाज व चिंताओं को मुखरता प्रदान की जाए।

[1] इस दस्तावेज में दलितों का इस्तेमाल ज्यादा आधिकारिक अनुसूचित जाति, हरिजन, अस्पृश्य, बहिर्जात व अन्य कई शब्दों के लिए किया जाएगा जिनके जरिये जातिगत आधार पर अलग–थलग किए जाने वाले समुदाय को संबोधित किया जाता है।

[2] कुशमशाक्यः दक्षेस देशों में एमडीजी की उपलब्धियां, जर्नल ऑफ प्रो पुअर ग्रोथ, 2013

दक्षेस के मंच की अहमियत

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस या सार्क) के देशों ने कई सामाजिक–आर्थिक संकेतकों जैसे कि गरीबी में कमी, शिक्षा व स्वास्थ्य में काफी तरक्की हासिल की है। लेकिन यह तरक्की सभी देशों[2] में समान स्तर की नहीं है। जाति, क्षेत्र, समुदाय, धर्म व लिंग के आधार पर इसमें काफी असमानताएं हैं। चूंकि इन जगहों से न तो पूरी तरह से सूचनाएं उपलब्ध हैं और न ही अलग–अलग आंकड़ा उपलब्ध है, इसलिए दक्षिण एशिया में सक्रिय नागरिक समाज के संगठनों (सीएसओ) के लिए इनकी जवाबदेही तय करना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

दक्षिण एशियाई उप–क्षेत्र (एसएएस) में कुल डेढ़ अरब की आबादी है जो हर साल1–8 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रही है। इसके चलते वस्तुओं व सेवाओं की मांग में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसकी परिणति प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और संसाधन अकुशलता[3] के रूप में हुई है। तेजी से बढ़ती आबादी इस इलाके में गरीबी को भी बढ़ा रही है और साथ ही देशों के बीच और उनके भीतर भी आय व विकास के अंतर पैदा कर रही है।

एमडीजी के अस्तित्व में आने के चार साल बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र के शासनाध्यक्ष इसलामाबाद में 12वें दक्षेस शिखर सम्मेलन के लिए मिले और उन्होंने जीवनयापन, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण पर दक्षेस विकास लक्ष्य निर्धारित किए। हालांकि दक्षेस विकास लक्ष्यों और 2015 के उपरांत के एसडीजी के लिए इस इलाके के नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी नहीं ली गई ताकि नए ढांचे में दक्षिण एशिया क्षेत्र के सामाजिक रूप से वंचित तबकों को लेकर उनकी चिंताएं प्रतिबिंबित होतीं, झलकतीं।

दक्षेस देशों से दलित एजेंडा

नेपाल सरकार की मेजबानी में 22–27 नवंबर 2014 को होने वाले आगामी 18वें दक्षेस शिखर सम्मेलन के दौरान इस बात का महत्वपूर्ण अवसर होगा कि दक्षिण एशिया के नागरिक संगठन एसडीजी में केंद्रबिंदु के तौर पर जाति आधारित भेदभाव को भी शामिल करने के लिए मिलकर दलित एजेंडा पेश करें।

एसडीजी सितंबर 2015 में स्वीकार किए जाएंगे और उसके बाद वे राष्ट्रीय नीतियों और सामाजिक–वैधानिक कदमों का खाका तैयार करेंगे। लिहाजा अब से लेकर सितंबर 2015 तक हम सबके लिए महत्वपूर्ण मौके हैं। यह जरूरी है कि सहयोग की एक क्षेत्रीय रणनीति तैयार की जाए जो वैश्विक प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन की निगरानी, जवाबदेही और संसाधन सुलभता को सुनिश्चित करे। दक्षेस उन क्षेत्रीय जुड़ावों को कायम करने और समता व सामाजिक समावेश पर एक सामूहिक दक्षिणी आवाज को मजबूत करने की क्षेत्रीय रणनीति बनाने पर सहमत होने का मंच प्रदान करता है। 2015 के उपरांत और दक्षेस के लिए क्षेत्रीय दलित एजेंडे को सांसदों और सिविल सोसायटी के लोगों द्वारा मिलकर तैयार किए जाने की जरूरत है। यह भी जरूरी है कि क्षेत्र के सांसदों से एक निरंतर संवाद स्थापित किया जाए। विकास के एजेंडे पर सांसदों को प्रभावी तौर पर साथ लेने के लिए यह भी जरूरी है कि उन्हें विकास और रुझानों पर न केवल उनके अपने देश के बारे में बल्कि समूचे क्षेत्र के बारे में नवीनतम जानकारी व आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं।

दक्षेस की प्राथमिकताओं के अनुरूप एसडीजी को तार्किक बनाना

- 2015 उपरांत एसडीजी के लिए दक्षेस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए और दक्षेस सामाजिक घोषणापत्र से लेते हुए क्षेत्रीय ढांचा विकसित करना।
- सामाजिक समावेश, गरीबी, स्वास्थ्य व अन्य लक्ष्यों पर एसडीजी में संशोधन करके सीबीडी को शामिल करना और उसकी प्राथमिकता तय करना।
- राष्ट्रीय कार्ययोजनाओं और अंतरिम लक्ष्यों के जरिये मजबूत क्रियान्यवन की प्रतिबद्धता जाहिर करना।
- टिकाऊ विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समावेश पर क्षेत्रीय तालमेल व जवाबदेही की एक प्रक्रिया स्थापित करना और इस आधार पर होने वाले सहयोग को भी व्यापार व सुरक्षा के स्तर पर सहयोग के बराबर का दर्जा देना।
- दक्षेस विकास कोष या अन्य तरीकों से 2015 के उपरांत एसडीजी के वित्तपोषण का भी खाका तैयार करना।

दलित नजरिये से खुले कार्यदल के मसौदा एसडीजी पर दृष्टिकोण

खुले कार्यदल द्वारा तैयार किया गया एसडीजी का शून्य मसौदा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो 2015 में एमडीजी की जगह लेने का एजेंडा तैयार करता है। हर तरह की असमानताओं को खत्म करने की जरूरत की तात्कालिकता को देखते हुए इस दस्तावेज में सूरत बदलने वाली और नए सिद्धांत रचने की काबिलियत होनी चाहिए। हमने जाति के आधार पर अलग–थलग किए जाने और भेदभाव बरतने के नजरिये से प्रस्तावित एसडीजी का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

[3] पोस्ट–2015 साउथ एशिया डेवलपमेंट एजेंडा, http://www-unep-org/civil&society/Portals/24105/documents/Civil%20Society%20prior%20to%20EoE/schedule_Overview/SADA%20EÛecutiveSummary-pdf

एसडीजी को वास्तव में समावेशी बनाना: आगे बढ़ने की सिफारिशें

एक ज्यादा महत्वाकांक्षी और गतिशील भूमिका

- हर लक्ष्य व कदम का एक समतावादी नजरिया स्थापत किया जाए, जिसमें गरीबों, सबसे वंचितों और दुर्बल तबकों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखा जाए।
- यह प्रतिबद्धता जाहिर की जाए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जल अधिकारों और सफाई और अन्य बुनियादी अधिकारों से संबद्ध लक्ष्यों को समतावादी रखा जाएगा और वे एक समयबद्ध रूप में संपन्नों व वंचितों के बीच के अंतर को कम करेंगे।
- यह स्वीकार किया जाए कि अत्यधिक असमानता आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की राह की सबसे बड़ी बाधा है।
- जाति आधारित भेदभाव को एक प्रमुख चिंता के रूप में स्वीकार किया जाए।
- यह संकल्प लिया जाए कि किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, अगर समाज के सभी सामाजिक–आर्थिक वर्गों के वांछित नतीजे हासिल होंगे तभी लक्ष्यों को पूरा माना जाएगा।

वैकल्पिक लक्ष्य 1: हर जगह पर गरीबी समाप्त करना और हर स्वरूप में असमानता को कम करना
वैकल्पिक 1–3: 2030 तक व्यापक, उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय लागू करना जिसमें ध्यान गरीबों, महिलाओं, बच्चों, शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों और उन लोगों पर हो जिनके साथ जाति, धर्म, जातीयता व लैंगिकता के आधार पर भेदभाव किया जाता है।
वैकल्पिक 1–4: 2030 तक सभी महिलाओं व पुरुषों के लिए बुनियादी सेवाओं, जमीन व संपत्ति के अधिकार, उत्पादक संसाधनों और वित्तीय सेवाओं की समान उपलब्धता हासिल करना खास तौर पर उनके लिए जो सबसे जरूरतमंद हैं और जिनके साथ जाति, जातीयता व धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है।
नया 1–8: आक्रामक कर सुधारों और अवसरों व संपत्ति के वाजिब वितरण के जरिये आय में असमानता को दूर करना।

वैकल्पिक लक्ष्य 3: सबके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा व सेहतमंद जीवन सुनिश्चित करना
वैकल्पिक 3–6: सर्वव्यापी स्वास्थ्य रक्षा तक समान पहुंच हासिल करना, जिसमें वित्तीय जोखिम से रक्षा और सबके लिए सुरक्षित, प्रभावी और सस्ती अनिवार्य दवाओं व टीकों तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल हो।

वैकल्पिक लक्ष्य 4: सबके लिए समान व सर्व समावेशी गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा और जीवनपर्यन्त सीखने के अवसर उपलब्ध कराना
नया 4–8: स्कूलों व उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, जाति व आर्थिक हैसियत के आधार पर अलग–थलग किए जाने वाले बच्चों के साथ भेदभाव को कड़े कानूनों व ढांचागत सुधार के जरिये समाप्त करना।

प्रस्तावित लक्ष्य 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं व लड़कियों के सशक्त करना
नया 5–8: हिंसा को समाप्त करने के लिए कड़े कानून लागू करके हाशिये के समुदायों की महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा करना।

वैकल्पिक लक्ष्य 6: सभी के लिए पानी, उसकी उपलब्धता और जल व सफाई का टिकाऊ इस्तेमाल सुनिश्चित करना
नया 6–7: 2030 तक मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना और इस बर्बर काम में लगे लाखों लोगों का पूरी तरह पुनर्वास करना।

प्रस्तावित लक्ष्य 8: सभी के लिए टिकाऊ, समावेशी आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और गरिमायुक्त कार्य को बढ़ावा देना।
वैकल्पिक 8–1: (8–8:ऊपर लाकर संशोधित करके)
श्रम अधिकारों की सुरक्षा करना, और प्रवासी श्रमिकों, खास तौर पर महिला प्रवासी श्रमिकों, सेक्स वर्कर और मुश्किल रोजगारों में लिप्त लोगों समेत सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करना। मैला ढोने की प्रथा सरीखे अत्यधिक अन्यायपूर्ण रोजगारों को समाप्त करना और ऐसे कामों में लगे लोगों का सम्मानजक कार्यों में पुनर्वास करना।
वैकल्पिक 8–4: 2030 तक सभी महिलाओं व पुरुषों के लिए, जिनमें सबसे गरीब और धर्म, जाति, आदि के आधार पर बहिष्कृत लोग, सबसे कमजोर तबके जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाओं व संघर्षों के कारण बेदखल हैं, युवा और शारीरिक अक्षमता वाले लोग शामिल हैं, पूर्ण, और उत्पादक, सम्मानजक रोजगार और जीवनयापन सम्मानजक कार्य उपलब्ध कराना और समान गुणवत्ता के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना।
नया 8–6: लिंग, धर्म, जातीयता व जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले समान अवसर कानून बनाकर सबकी रोजगार के समान अवसरों, पूंजी बाजारों, भर्ती के फैसलों और कार्यस्थानों की प्रक्रियाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रस्तावित लक्ष्य 10– देशों के बीच असमानता को कम करना।
वैकल्पिक 10–2: 2030 तक आबादी के निचले 40 फीसदी हिस्से की आय में वृद्धि की दर को राष्ट्रीय औसत से ऊंचा बनाए रखना।
वैकल्पिक 10–2: सबसे अमीर 10 फीसदी और सबसे गरीब 40 फीसदी आबादी में संपत्ति की असमानता को कम करके 2030 तक सामाजिक समूहों के भीतर अवसरों व नतीजों की आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय असमानताओं को कम करना।
नया 10–डी: 2030 तक उच्च–गुणवत्ता वाले, समयबद्ध और अलग–अलग आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चितता करना ताकि हाशिये के समूहों और दुर्बल तबकों के लोगों की स्थिति पर निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

प्रस्तावित लक्ष्य 15रू वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा की जाए, उनके टिकाऊ इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए, जंगलों को टिकाऊ रूप से प्रबंधित किया जाए, जंगलों को मरूस्थल बनने से रोका जाए, जैवविविधता के नुकसान को रोका जाए।
नया 15.8
जमीन व जंगल पर लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, स्वशासन, स्थानीय नियोजन व स्वामित्व, सामाजिक ऑडिट को बढ़ावा देकर जंगलों व अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना
नया 15.9
निजी क्षेत्र द्वारा जमीन के अधिग्रहण की सख्त पड़ताल करना और विस्थापितों के जीवन स्तर, सांस्कृतिक परंपराओं, भावनात्मक भलाई और जीवन–यापन में दखल दिए बगैर उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करना।

प्रस्तावित लक्ष्य 16रू टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को संवर्धित किया जाए। सबके लिए न्याय सुलभ बनाया जाए और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थान खड़े किए जाएं।
वैकल्पिक 16.3रू राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून का शासन प्रवर्तित किया जाए, और सबके लिए न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित की जाए सभी जन–विरोधी, लोकतंत्र–विरोधी कानूनों को समाप्त किया जाए, संघर्ष वाले क्षेत्रों में राजनीतिक संवाद कायम किया जाए और शांति व मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस व न्यायिक सुधार लागू किए जाएं।
नया 16.9ध्पूर्व 16.9रू 2030 तक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों, जिनमें भाषाई, जातीय, धार्मिक व यौनिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, सभी को सभी देशों में समान अधिकारों वाले नागरिकों के रूप में हैसियत दी जाए।

प्रस्तावित लक्ष्य 11 (मौजूदा लक्ष्य 11 को लक्ष्य 12 बनाना)रू
2030 तक जाति, काम व जन्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना।

HEAD OFFICE:
Kupondole, Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5520982

SECRETARIAT:
8/1, 2nd Floor, South Patel Nagar, New Delhi-110008, India;
Tel:011 45668341, 45037897;
Fax: 011 25842250

Email: comms@asiadalitrightsforum.org
Web: www.asiadalitrightsforum.org